

रांची विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना।

2047. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को फिर से खुलवाने के लिए क्या कदम उठाये ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमता कृष्णा साहा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के पास रांची विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल तक बन्द होने अथवा उनके कारणों के बारे में कोई सूचना नहीं है। रांची विश्वविद्यालय, बिहार राज्य विधानमण्डल के अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है और बिहार सरकार को ही इस मामले की जांच करनी होगी।

नई दिल्ली नगर पालिका का होम्योपैथिक डिस्पेंसरी

2048. श्री सूरज प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका की सरोजिनी नगर, नई दिल्ली स्थित होम्योपैथिक डिस्पेंसरी सप्ताह में केवल दो दिन ही खोली जाती है और यदि हां, तो इसे प्रतिदिन न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चारों होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में कोई भी कम्पाउंडर नहीं हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका की डिस्पेंसरियों में

चिकित्सा जांच हेतु मरीजों की संख्या निश्चित कर दी गई है और यदि हां, तो और अधिक मरीजों की जांच करने के लिए कब तक और अधिक डाक्टर तैनात किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारां सराज खान) : (क) जी, हां। सरोजिनी नगर का होम्योपैथिक औषधालय अप्रैल, 1985 को प्रयोगात्मक आधार पर खोला गया था जिसे कि लोगों की प्रतिक्रिया का पता लगाया जा सके। रोगियों की हर रोग की औसत हाजिरी केवल 50-60 थी जबकि निर्धारित मानदण्ड 100-150 रोगी है।

(ख) जी, हां। नई निष्क्रियों पर पाबन्दी लगने के कारण चार कम्पाउंडरों की आवश्यक रिक्तियों को भरा नहीं जा सका। इन पाबन्दियों में अब छूट दे दी गई है तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा इन पदों को भरने के लिए कार्रवाई को जा रही है।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका के मानदण्डों के अनुसार एक डाक्टर के लिए हर रोज 100-150 तक रोगियों की जांच करना आवश्यक है। चूंकि इन औषधालय में रोगियों की हाजिरी मानदण्डों से कम है इसलिए यहां अतिरिक्त डाक्टर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका का डिस्पेंसरियों में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों के वेतनमान

2049. श्री सूरज प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका में एलोपैथिक डाक्टरों को 1100-1600 का वेतनमान दिया जाता है जबकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों को यह वेतनमान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वेतनमान में असमानता के क्या कारण हैं और तीनों